

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक-प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र-1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष-2014-15 में लो.सू.पदा के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लिखित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो.सू.पदा पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
	डी.डी. प्रशासनिक	प्राचार्य, लो. सू. पदा	16	16	Nil	150	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	कुल योग-		16	16	Nil	150	Nil				

टिप्पणी :- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी.डी., पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम-3 (ख) में विहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी.डी., पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी.डी., पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

लोक सूचना पदा  
का निदेशक एवं सचिव  
05/11/19

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक-प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र-1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष-2015-16 में लो.सू.पदा के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो.सू.पदा पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	Dr. R.K.P.d.	Prinert/peel	18	06	12	210	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2											
3											
	कुल योग-		18	06	12	210					

टिप्पणी :- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी.डी.पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम-3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी.पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी.पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

लोक सूचना पदा  
का एरर/रिपोर्ट एवं साइट  
05/04/19

वित्तीय वर्ष 2016-17 ई.स.

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र-1

क्र.सं.	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष-2016-17 में लो.सू.पदा. के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निरस्तारित आवेदनों की संख्या	लभित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी, उसकी संख्या (धारा-8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो.सू.पदा. पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुराजा की गयी, उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	यसूली की गई कुल राशि	अभ्युक्ति
1.	डा. राज किशोर प्रसाद	प्राचार्य, को.प.न. को.म.ज. पटना	15	08	07	110	07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.											
3.											
कुल योग-			15	08	07	110	07				

- टिप्पणी :-
- (क) अथना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
  - (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम-3 (ख) में विहित प्रावधान के तहत जो मामले हो उनके सबंध में प्रतिवेदन।
  - (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम-3(च) एवं 3(छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
  - (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम-3(घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो, प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

लोक सूचना पदा. के E2-ना.द्व.  
 श.ब. Principal  
 को.प.न. College, Patna  
 March 2018  
 01/11/18

फ़ाइल नं. PL-516/18 दिनांक:- 11/11/2018

वित्तीय वर्ष 2017-18 टेड

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक-प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र-1

लोक अधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष-2017-18 में लो.सू.पदा. के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामलों में सूचना नहीं दी गयी, उसकी संख्या (धारा-8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो.सू.पदा. पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुयाया की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसूली की गई कुल राशि	अभ्युक्ति
SP राजेश्वर-प्रसाद	प्राचार्य, कोषण्डा कॉलेज, पटना	02	01	01	70	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग-		02	01	01	70	01				

- ध्यानी :-
- अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम-3 (ख) में विहित प्रावधान के तहत जो मामले हो उनके संबंध में प्रतिवेदन।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम-3(च) एवं 3(छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम-3(घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गये अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो, प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी.डी. एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

लोक सूचना पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Principal  
B. N. College, Patna

11/11/18 11/11/18

सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक-प्रतिवेदन के लिए प्रपत्र-1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष-2013-14 में लो.सू.पदा के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो.सू.पदा पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
	डा० इ.जी.फरोर - प्रलाय	प्रा-पाय, लो. एन० कॉमन, पदा	07	05	02	70	02	Nil	Nil	Nil	Nil
	कुल योग-		07	05	02	70	02				

टिप्पणी :- (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी.डी.पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के तहत नियम-3 (ख) में विहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी.डी.पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध किये गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूरीकृत कराकर सी.डी.पलौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

लोक सूचना पदा  
का क्षेत्राध्यक्ष एवं जोहर

05/04/19

05/04/19